

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त प्रश्न उत्तर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय से आएंगे वही किंग्स अफ द किंग्स और प्रतियोगिताओं का आयोजन।
सम्बन्धित विवरण पर नए पृष्ठ में एक नमूना हुआ है जो परीक्षाओं के विवरण अथवा विवरण जहाँ प्रिन्टों उपलब्ध है।



आफ : पूर्वोक्त
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता-2012/ 5931

दिनांक: 05/10/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महाविद्यालय प्रताप कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट्री एण्ड रिजर्व, ग्वालियर (0751-2283378) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संघटित बी.डी.एस., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधारण प्रदान करने के लिये मासिकीय चूलपति महोदय/स्वाधीन समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है -


- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलायुक्त, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) डॉ. योगेन्द्र प्रसाद, विभागाध्यक्ष, दूर चिकित्सा विभाग, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (3) प्रो. शैलेंद्र भवौरिया, आचार्य, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27.28 के प्रायधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चुक, प्रोफेसर डॉ. प्रो. डॉ. शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुसंधारण/अनुसंधारण प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिष्कार एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा पिछले सत्र में बी.डी.एस. की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधारण अधिनियम करें।

समाप्ति समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा बी.डी.एस. की अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बन्ध जमा करके नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत तृतीयक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुनिष्ठता से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / सी.ए. / माज्देय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव को जिली सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

13